विश्राम कक्ष,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर।
दिनांकः–26.11.2025

विविध आदेश

कार्य विभाजन के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश से विचार विमर्श के उपरान्त सभी न्यायालयो में लम्बित दाण्ड़क वादों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा फौजदारी कार्य को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु निम्न आदेश दिनांक 27–11–2025 से प्रभावी किया जाता हैः–

1– न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1 मुजफ्फरनगर में लम्बित थाना नई मण्डी से सम्बन्धित लम्बित (माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एक्शन प्लान के अर्न्तगत चिन्हित पत्रावलियॉ व वर्ष 2011 तक की लम्बित समस्त पत्रावलियो को छोड़कर, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशित समस्त पत्रावलियॉ व थाना नई मण्डी से सम्बन्धित वर्ष 2020 तक की गोवध अधिनियम से सम्बन्धित लम्बित पत्रावलियॉ को छोडकर) समस्त पुलिस चालानी वाद व प्रकीर्ण वादों का दायरा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर को अन्तरित किया जाता है।

2– न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1 मुजफ्फरनगर में लम्बित थाना नई मण्डी से सम्बन्धित लम्बित (माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एक्शन प्लान के अर्न्तगत चिन्हित परिवाद पत्रावलियॉ व वर्ष 2011 तक की लम्बित परिवाद वादो की पत्रावलियो को छोड़कर व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशित परिवाद वादों की पत्रावलियो को छोडकर) समस्त परिवाद वाद व नये परिवाद वादों का दायरा न्यायालय सिविल जज जू0डि0 /एफ0टी0सी0 कोर्ट नं01, मुजफ्फरनगर को अन्तरित किया जाता है।

3– न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1 मुजफ्फरनगर में वाह्य न्यायालय बुढाना से सम्बन्धित सत्र परीक्षणीय पुलिस चालानी वाद, व्यक्तिगत परिवाद एवं प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र, लम्बित समस्त वाद व नया दायरा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–2, मुजफ्फरनगर को अन्तरित किया जाता है।

4– न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1 मुजफ्फरनगर में थाना कोतवाली नगर, खतौली, सिविल लाईन, मन्सूरपुर, खालापार व नई मण्डी से सम्बन्धित गोवध अधिनियम की वर्ष 2021 से लम्बित समस्त पत्रावलियॉ व उक्त थानो से सम्बन्धित गोवध अधिनियम से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद, व प्रकीर्ण वादों का

दायरा न्यायालय अपर सिविल जज सी0डि0, कोर्ट संख्या–1/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर को अन्तरित किया जाता है।

5– न्यायालय अपर सिविल जज सी0डि0, कोर्ट संख्या–1/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर में लम्बित थाना रामराज से सम्बन्धित लम्बित समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद एवं प्रकीर्ण वाद व उनका दायरा व लम्बित पत्रावलियॉ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–1 मुजफ्फरनगर में अन्तरित किये जाते हैं।

6– न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कोर्ट संख्या–4 मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाईन से सम्बन्धित परिवाद वाद का नया दायरा न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कोर्ट संख्या–1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर को अन्तरित किया जाता है।

(श्रीमति कविता अग्रवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।

<u>प्रतिलिपि–</u>

1–माननीय जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ।
2–सम्बन्धित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
3–अध्यक्ष/सचिव जिला बांर संघ, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ।
4–अध्यक्ष/सचिव बार संघ, बुढाना।
5–संयुक्त निदेशक अभियोजन, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ।
6–कम्प्यूटर सेक्शन को सूचनार्थ।

26/11/24
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुजफफरनगर।